न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा जिला राजसमन्द

(पीठासीन अधिकारी –राकेश कुमार न्योल, आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 02/2018
दायर दिनांक :– 02/02/2018
निर्णय दिनांक :– 12/08/25

अनवान्

1. रतनलाल पिता लेहरुलाल गाडरी निवासी गाडरीयावास मजरा कुरज तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द

अपीलाण्ट

बनाम

1. शंकर पिता उदा गाडरी निवासी गाडरीयावास मजरा कुरज तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
2. बदरू पिता उदा गाडरी निवासी गाडरीयावास मजरा कुरज तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
3. केशी बाई बेवा उदा गाडरी निवासी गाडरीयावास मजरा कुरज तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
4. ग्राम पंचायत कुरज जरिये सरपंच ग्राम पंचायत कुरज तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द

रेस्पोडेण्टगण

उपस्थित :–
वादीगण की ओर से – मदनलाल सालवी, अधिवक्ता
अधिवक्ता प्रतिवादीगण – राकेश कुमार सनाढ्य, अधिवक्ता

दिनांक – .....

अपील विरुद्व नामान्तरकरण सं. 5370 निर्णय दिनांक 10/07/2017 ग्राम पंचायत कुरज अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट.

: : निर्णय : :

अपीलाण्ट ने जरिये अधिवक्ता अपिल विरुद्व नामान्तरकरण सं. 5370 निर्णय दिनांक 10/07/2017 ग्राम पंचायत कुरज अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट. के प्रस्तुत की गयी कि ग्राम कुरज पटवार मण्डल कुरज तहसील रेलमगरा में रेस्पोडेण्ट संख्या 01 से लगायत 03 के नाम पर राजस्व रेकर्ड में कृषि आराजी संख्या 3802, 3803, 3804, 3824, 3828, 3829, 3830, 3834 कुल किता–08 कुल रकबा 18–08 बीघा स्थित है। वादपत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित भूमियां उदा पिता केला गाडरी की पैतृक कृषि भूमियां थी जो उदा के पश्चात् उनके वारिसों के नाम पर चली गई। उदा का वंशवृक्ष अपील में अंकित है। अपीलाण्ट को आज से करीब 17–18 वर्ष पूर्व अर्थात् अपीलाण्ट जब 2–3 वर्ष का था उस समय सामाजिक रिति रिवाज अनुसार अपीलाण्ट को लेहरू ने अपनी गोद में बिठाया तथा गुड धनिया बांट कर गोद की रस्म पुरी की गई तथा इस गोद की रस्म के करीब 10 वर्ष पश्चात् तथा लेहरू की मृत्यु के पश्चात् लेहरू की पत्नि रतनी उर्फ रतु बाई ने गोदपत्र निष्पादित कर उप

उपखण्ड अधिकारी
रेलमगरा

उपखण्ड कार्यालय रेलमगरा में दिनांक 24/06/2010 को पंजीकृत करवाया गया। पंजीकृत गोदपत्र की फोटोप्रति साथ संलग्न है। अपीलाण्ट को गोद रखने वाली श्रीमति रतनी उर्फ रतु बाई गाडरी की दिनांक 10/04/2017 को मृत्यु हो चुकी है उनके अन्तिम संस्कार एवं कियाकर्म आदि अपीलाण्ट ने ही एक पुत्र की हैसियत से किया. किन्तु स्वयं रतनी उर्फ रतु गाडरी के नाम की कृषि भूमियां जो अपनी से विरासत मे प्राप्तु हुई उसका नामान्तरकरण गोदपुत्र रतनलाल के नाम पर फैसल नही कर ग्राम पंचायत ने बिना जांच किये ही रेस्पोडेण्ट संख्या 01 से लगायत 03 के नाम पर निर्णित करने की गंभीर भुल की है जिससे नामान्तरकरण संख्या 5370 ग्राम पंचायत कुरज को निरस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक हो गया है। अपीलाण्ट ने दिनांक 25/01/2018 को जब अपने नाम की जमाबन्दी की नकल निकलवाने पटवारी के पास गया तब उक्त त्रुटिपूर्ण नामान्तरकरण की जानकारी हुई कि अपील की कलम संख्या 01 मे वर्णित भूमियों में अपीलाण्ट का नाम दर्ज नही होकर रेस्पोडेण्ट संख्या 01 से लगायत 03 के नाम पर भूमियां दर्ज हो गई है। नकल प्राप्त करते ही अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत है फिर भी विकल्प में धारा 05 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश है। अन्य उजरात वक्त बहस निवेदन किये जायेगें। अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत कुरज द्वारा त्रुटिपूर्ण नामान्तरकरण संख्या 5370 को खारिज फरमावें तद्नुसार जांच करवाई जाकर गोदपुत्र के आधार पर नामान्तरकरण खुलवाया जाने का आदेश फरमावें।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेण्ट संख्या 02 से लगायत 04 बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित रहने से प्रकरण में इनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। रेस्पोडेण्ट संख्या 01 के अधिवक्ता ने प्रकरण में मयाद अधिनियम का जवाब प्रस्तुत नही कर सीधी बहस चाही गयी।

उभय पक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया गया तो जाहिर आया कि वादग्रस्त भूमियो की पूर्व खातेदार मृतक रतनी उर्फ रतु गाडरी ने अपीलाण्ट के पक्ष में एक पंजीकृत गोदनामा निष्पादित किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि मृतक रतनी उर्फ रतु गाडरी ने अपीलाण्ट को गोदपुत्र रखा गया है और अधिनस्थ न्यायालय ने मृतक रतनी उर्फ रतु गाडरी का जो नामान्तरकरण बिना अपीलाण्ट को सुचित किये तथ बिना सुने निर्णित किया गया है जो न्याय संगत नही है। ऐसी स्थिति में अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य प्रतीत होती है।

: : आदेश : :

अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत कुरज द्वारा निर्णित ग्राम कुरज के नामान्तरकरण सं. 5370 निर्णय दिनांक 10/07/2017 को निरस्त किया जाने के आदेश दिये जाते है और तहसीलदार रेलमगरा को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे मामलें में अपीलाण्ट के पक्ष में निष्पादित गोदनामें को ध्यान में रखते हुए अपीलाण्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नये

उपखण्ड अधिकारी एवं

सिरे नामान्तरकरण दर्ज करने की कार्यवाही कर प्रकरण का निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करावें। पालनार्थ तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 12/8/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायायल में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा

(राकेश कुमार न्योल)
उपखण्ड अधिकारी
रेलमगरा